

# भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय

## मधेपुरा- 852 113 (बिहार)



पत्रांक : .....

दिनांक : .....

### सूचना

निदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कैंटीन को पुनः संचालित करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक .....05 Dec तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

1. शिक्षित बेरोजगार ही आवेदन कर सकते हैं।
2. शैक्षणिक योग्यता, कम से कम मैट्रिक स्तरीय हो।
3. पुरुष/महिला आवेदन कर सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले नियम/परिनियम आवेदनकर्ता को मान्य होंगे। जो विश्वविद्यालय की सभी शर्तों को पूरा करेगी/करेगा वैसे आवेदक को स्वीकृत/आवंटित किया जायेगा।
5. बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सामान की बिक्री करनी होगी/स्थानीय बाजार के कम से कम तीन डोरन का 2-2 चार्ट आवेदन के साथ संलग्न की जाय
6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये रेंट/किराया पर एक वर्ष के पश्चात् रेंट का पुनः निर्धारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
7. कैंटीन आवंटित होने वाले व्यक्ति को सुरक्षित राशि के रूप में 20,000/- (बीस हजार) रु० जमा करना होगा। जिस किसी भी दिन कैंटीन/रद्द छोड़ना चाहेगा उसे यह राशि लौटा दी जाएगी। क्षति होने पर सुरक्षित राशि से कटौती की जाएगी।
8. कैंटीन का भाड़ा/रेन्ट प्रतिमाह 6 तारिख तक जमा करना होगा। यदि तीन माह तक लगातार रेंट जमा नहीं किया गया तो एग्रीमेंट रद्द समझा जाएगा/कर दिया जाएगा एवं सुरक्षित राशि जप्त हो जाएगी।
9. कैंटीन में किसी तरह के नसीले पदार्थ को बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी किसी भी तरह की शिकायत होने पर अविलम्ब संविदा एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई आवश्यकतानुरूप की जायेगी।
10. आवंटित होने वाले आवेदक को कैंटीन से संबंधित शर्तों को अलग से विश्वविद्यालय कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाएगा जो सभी शर्तों का पालन/मान्य होगा तभी विश्वविद्यालय कैंटीन खोलने की अनुमति/एग्रीमेंट करेगा।

परिसम्पदा पदाधिकारी

कुलसचिव